



कार्यालय-वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail - ID : cfbasti1947@gmail.com

Office : Conservator of Forests Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar

Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक : 3115 / 33-1 बस्ती, दिनांक मई 24 / 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : मेसर्स टोरेट गैस प्राइवेट लि० द्वारा बस्ती में बड़ेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.35805 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/पाईपलाइन/120198/2021)

संदर्भ : सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या-पी-335/81-2-2022-800 (36)/2022, दिनांक 28.03.2022 एवं आपका पृष्ठांकन पत्र संख्या 2737/11-सी-एफ०पी०/यूपी०/Pipeline/120198/2021, दिनांक 29.03.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विषयगत प्रस्ताव में सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या-पी-335/81-2-2022-800 (36)/2022, दिनांक 28.03.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के पत्र संख्या 3647/33-1 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे तीन प्रतियों में संस्तुति/सहमति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती को उनके पत्र संख्या 3647/33-1 दिनांक 19.05.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-335/81- 2-2022-800 (36)/2022 दिनांक 28.03.2022 के द्वारा जनपद बस्ती में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा बड़ेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती में प्रस्तावित गैस पाइप बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.35805 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव सं0 एफपी0/यू0पी0/पाइपलाइन/120198/2021)

क्रम संख्या	शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। संलग्न है।
2	भूमिगत पाइपलाइन /मार्गों/ सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त सं0 2. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे। संलग्न है।
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।	शर्त सं0 3. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी। संलग्न है।
4	प्रस्ताविक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त सं0 4. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी। संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त सं0 5. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त सं0 6. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त सं0 7. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। संलग्न है।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं किया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त सं0 8. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं किया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। संलग्न है।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र	शर्त सं0 9. के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय

	संख्या -5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या -5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority) उ0प्र0 एन0ई0एफ0टी0 के द्वारा कैम्पा, खाता सं0- 1509072120198075 आई0एफ0सी0 कोड- UBIN0903710 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक-11 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है। संलग्न है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त सं0 10. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त सं0 11. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो। संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी0 (पीटी). दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त सं0 12. के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है। संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त सं0 13. के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। संलग्न है।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त सं0 14. के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त सं0 15. के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। संलग्न है।

16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति करने के उपरान्त के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त सं0 16. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति करने के उपरान्त के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। संलग्न है।
17.	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त सं0 17. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है। संलग्न है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त सं0 18. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा किया जायेगा। संलग्न है।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त सं0 19. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा किया जायेगा। संलग्न है।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।	शर्त सं0 20. के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। संलग्न है।
21	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त संख्या 21. में उल्लेखित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। संलग्न है।
22	CA amount as per proposal	-
23	CA amount deposited	-
24	Difference in amount	-
25	Reason for difference	-
26	NPV amount as per proposal	Rs. 3,42,950.00
27	NPV amount deposited	Rs. 3,42,950.00
28	Difference in amount	-
29	Reason for difference	-
30	Any other amount deposited (Complete details be provided)	-
31	CAMPA confirmation	Not Recieved


 (नवीन प्रकाश शाक्य)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।
 28/12

FORM-1
(for Non Linear Projects)
Government of Uttar Pradesh

Office of the District Magistrate/ Collector, Basti

No. - 3185/334

Date. 08/4/2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 03-08-2009 and dated 05-02-2013 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modification of above said letters, (MoEF) exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of scheduled tribes and other traditional forest Dwellers in case of Non Linear Projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no.11-9/98/FC (pt.) dated 28-10-2014.

In compliance of Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter.No. 11-9/98-FC(pt.) dated 28-10-2014, It is certified that an area of **0.35805 hectare of Protected forest area situated Alongwith Badeban Chauraha to Company bagh Chauraha and Basti Roadways to Plastic complex in District-Basti** "Plantation notified as Protected Forest proposed to be diverted in favour of Torrent Gas pvt. Ltd. Ahmedabad (purposed for diversion of Protected forest) for pipeline.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture communities and the Plantations is declared Forest Land on Gazette Notification No. 96AF/XIV-196-9 dated 17 feb 1940, it is notified as "Protected forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in **Badeban Chauraha to Company bagh Chauraha and Basti Roadways to Plastic complex in District-Basti** having no recorded population of Scheduled Tribes, as per Census- 2001 and the census-2011.

प्रभागीय निदेशक
भूमिजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

District Magistrate/ Collector
Basti

जिलाधिकारी
बस्ती

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

प्रमाणित
प्रमाणित निदेशक
समाजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

सेवा में,

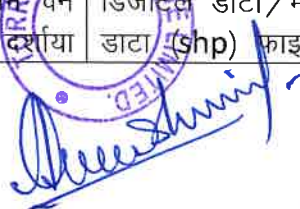
प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वानिकी प्रभाग, बस्ती

विषय:- जनपद बस्ती में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती में प्रस्तावित गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.35805 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/पाइपलाइन/120198/2021)

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-335/81-2-2022-800(36)/2022 दिनांक 28.03.2022।

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक न होगी।	शर्त संख्या 3, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	शर्त संख्या 7, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्ण की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या 8, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया

		जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 9, के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा संशोधित पत्र सं0-5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06-01-2022 तथा 19-01-2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, एन0ई0एफ0टी0 के द्वारा कैम्पा, खाता सं0-1509072120198075 आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड-UBIN0903710, 'यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक-11, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या 10, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या 11, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या 13, के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा। प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया	शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में



	गया।	संलग्न कर दिया गया है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या 16, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या 17, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 18, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 19, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।	शर्त संख्या 20, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।
21	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त संख्या 21 में उल्लेखित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।



 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
 टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
ग० वा० वन प्रभाग, बस्ती
०१३


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित निदेशक
गैस वन प्रभाग, बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मीटर गहराई 1.00 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं की जाएगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
वा० वन प्रभाग बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रशासी निदेशक
का० वन प्रभाग, बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

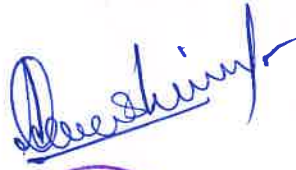
प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
वन विभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

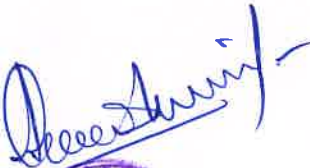
प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
वा० वन प्रभाग, बस्ती


(प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
का० वन प्रभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण की धनराशि रू० 342950.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण/मद	धनराशि (रू०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या-9 व 17 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 0.35805 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06-01-2022 तथा 19-01-2022 के अनुसार 957780 लाख प्रति हे० की दर से)/(एन०पी०वी०)	342933.129 अथवा 342950.00 रूपये	आर.टी.जी.एस.	18.04.2022	BARBD22108 396526
	योग-	342950.00 रूपये			

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

४० वा० वन प्रभाग, बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित निदेशक
बस्ती का ० वन प्रभाग, बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
गैस वॉ वन प्रभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा। प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
वा० वन प्रभाग, बस्ती
०१३


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
गै० वा० वन प्रभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
गैस व० वन प्रभाग, बस्ती


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रजातीय निदेशक
वा० वन विभाग, बस्ती

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बस्ती रोडवेज से प्लास्टिक काम्पलेक्स के मध्य जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिये उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
ग० वा० वन प्रभाग, बस्ती
२६/३


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0

AGENCY COPY



Union Bank
 of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-04-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	72120198075
MoEF/SG File No.	P-335/81-2-2021-800(36)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD
Amount(in Rs)	342950/-

Amount in Words : Three Lakh Forty-Two Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072120198075 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



Union Bank
 of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-04-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	72120198075
MoEF/SG File No.	P-335/81-2-2021-800(36)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD
Amount(in Rs)	342950/-

Amount in Words : Three Lakh Forty-Two Thousand Nine Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072120198075 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Date	Beneficiary Name	RBI/UTR Reference Number	Amount	Beneficiary Account Number	IFSC Code
18-04-2022	UTTAR PRADESH CAMPA	BARBD22108396526	3,42,950.00	1509072120198075	UBIN0903710